



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



Website-msuniversity.ac.in

E-mail ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 120 / 16 / एन.एस.एस. / एम.एस.यू. / 2024-25

दिनांक: 12 / 11 / 2024

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

2- कुलसचिव, ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर।

3- कुलसचिव, शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र सं०- 15-आवं 21 / सत्तर-रा०से०यो०को०-2024-21 / 2017 दिनांक 08.11.2024 के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है-

क्र०सं०	महाविद्यालयों की सूची	वित्तीय वर्ष 2024-25 में रा०से०यो० सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित छात्र संख्या
1	2	3
1	भायला पी०जी० कॉलेज भायला, सहारनपुर	100
2	गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारन सहारनपुर	300
3	एच०बी०एच० महाविद्यालय नन्हेड़ा वेद बेगमपुर, सहारनपुर	100
4	जे०वी०जैन कॉलेज, सहारनपुर	200
5	लाला किशन चन्द राजकीय महाविद्यालय, गंगोह, सहारनपुर	100
6	एम०एस० कॉलेज, सहारनपुर	300
7	मुन्नालाल एण्ड जय नारायण खेमका गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सहारनपुर	100
8	राजकीय महाविद्यालय ननौता, सहारनपुर	200
9	राजकीय महाविद्यालय देवबन्द, सहारनपुर	100
10	राजकीय महाविद्यालय बेहट, सहारनपुर	100
11	राजकीय महाविद्यालय कोटा, सहारनपुर	100
12	सतगुरु इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मुजफ्फरनगर	100
13	सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज आखलोर खेड़ी, सहारनपुर	100
14	ठाकुर कृपाल सिंह मैमो डिग्री कॉलेज, रणखण्डी, सहारनपुर	100
15	दून कॉलेज ऑफ एजुकेशन सुन्दरपुर, सहारनपुर	100
16	पूरनमल रामलाल डिग्री कॉलेज, गंगोह, सहारनपुर	100
17	भगवन्त कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुजफ्फरनगर	100
18	भगवन्त इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरनगर	100
19	चौ० छोटूराम पी०जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर	300
20	महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, चरथावल, मुजफ्फरनगर	100
21	चौ० हरबंश सिंह कन्या महाविद्यालय, खतौली, मुजफ्फरनगर	100

22	चन्द्रशेखर आजाद पी0जी0 कॉलेज, चरथावल, मुजपफरनगर	200
23	डी0ए0वी0 कॉलेज, बुढ़ाना, मुजपफरनगर	100
24	डी0ए0वी0 कॉलेज, मुजपफरनगर	300
25	जैन कन्या पाठशाला पी0जी0 कॉलेज, मेरठ रोड, मुजपफरनगर	100
26	एम0एस0एस0के0डी0 डिग्री कॉलेज, मोरना, मुजपफरनगर	100
27	प्रहलाद सिंह मैमो0 डिग्री कॉलेज, खतौली, मुजपफरनगर	100
28	एस0डी0 कॉलेज, मुजपफरनगर	300
29	श्रीराम कॉलेज, मुजपफरनगर	100
30	श्रीमति मुख्त्यारी देवी टिकैत कन्या डिग्री कॉलेज सिसौली, मुजपफरनगर	200
31	स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज, बघरा, मुजपफरनगर	100
32	विद्योत्तमा कन्या महाविद्यालय गंगधाडी, मुजपफरनगर	200
33	वी0एस0के0डी0 पी0जी0 कॉलेज, बरला, मुजपफरनगर	100
34	तारा चन्द वैदिक पुत्री कन्या महाविद्यालय, मुजपफरनगर	100
35	जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनत, शामली	100
36	कांधला कॉलेज कांधला, शामली	100
37	वी0वी0पी0जी0 कॉलेज, शामली	300
38	आर0के0पी0जी0 कॉलेज, शामली	300
39	राजकीय महाविद्यालय कांधला, शामली	100
40	सेंट आर0सी0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनत, शामली	100
41	सेंट आर0सी0 कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बनत, शामली	100
42	विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय कैराना, शामली	200
43	इन्द्रप्रस्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, कोटा, सहारनपुर	100
44	आकांक्षा कॉलेज मीरापुर, मुजपफरनगर	100
45	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर	200
46	वैबटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी गंगोह, सहारनपुर	100
47	देव भूमि स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जमालपुर, सहारनपुर	100
48	राजकीय मॉडल महाविद्यालय, कपूरी, गोविन्दपुर, सहारनपुर	100
49	ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर	200
	योग-	7100

2- उपरोक्त तालिका के कालम सं0-3 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त के सन्दर्भ में सभी सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान वित्तीय वर्ष 2024-25 का छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराने के साथ-साथ छात्र संख्या आवंटन का पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में दिनांक: 05.12.2024 तक आवश्यक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करे।

4- विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित प्रारूप पर शासन को एवं विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाईयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5- भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाईयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश शासन के क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाईयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

6- इकाईयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7x2)=14 पृष्ठ, प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (04 फोटो प्रति पृष्ठ x7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किए गए नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित) रिपोर्ट की हार्ड कापी व साफ्ट कापी शासन व विश्वविद्यालय कार्यालय दोनों को प्रेषित करें।

7- वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार के निर्देशानुसार आवंटित छात्र संख्या के सापेक्ष धनराशि का भुगतान सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट बैंक खाता के ZBSA Current Account, Product Code- 511-2171 के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों का सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (सी0एन0ए0) प्रणाली सब्सिडरी खाता (चालू खाता) शून्य धनराशि से भारतीय स्टेट बैंक में 01 सप्ताह के भीतर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, नहीं तो शासन स्तर से आवंटन निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।

8- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकरण की सूचनाएँ MS Excel साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रारूप पर आवंटन निर्गत करने के एक माह के अन्दर कार्यालय ईमेल-nss@msuniversity.ac.in पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि सूचनाएँ समय से उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित की जा सकें।

S. N.	NSS ENROLLMENT NO.	AADHAR NO.	STUDENT NAME	FATHER NAME	MOTHER NAME	CLASS	GENDER	CAST	DOB	ADD.	EMAIL	MO. NO.
1-												

9- पंजीकरण की सूचनाएँ उपलब्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित महाविद्यालय को सामान्य तथा विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी।

10- ऐसे महाविद्यालय/संस्थान जो राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का संचालन अब नहीं करना चाहते हैं, आवंटन निरस्त करने हेतु इसकी सूचना कारण सहित लिखित रूप से 07 कार्यादिवसों में विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। ताकि शासन को ससमय सूचना प्रेषित की जा सकें।

11- वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी इकाईयों को यह निर्देशित किया जाता है कि नियमित एवं विशेष शिविर का आयोजन तथा जनहित गारण्टी अधिनियम- 2011 के अन्तर्गत ऑन-लाइन पंजीकरण एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आप उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय



(डा० भूपेन्द्र कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. वित्त अधिकारी कार्यालय को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. युवा अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड।
5. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना